

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2017/पौष 21, 1938

No. 20]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2017/PAUSA 21, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2017

सं. 01/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 20(अ).—जहां तक कि, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (एतत् पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 3 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क (जिसमें कि इसका न लगाया जाना भी शामिल है) को लगाए जाने के सामान्यतः जो प्रथा प्रचलन में थी उसके अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 1302 के अंतर्गत आने वाले साधारण (अन-मॉडीफाइड) इमली की गिरी के पाउडर (एतत् पश्चात् जिसे उक्त वस्तु से संदर्भित किया गया है) पर उक्त प्रथा के चलते 19 जुलाई, 2011 से प्रारम्भ होने वाली और 18 जुलाई, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त शुल्क नहीं लगाया जा रहा था;

2. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11ग में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त वस्तुओं पर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाना था, लेकिन उक्त प्रथा के चलते नहीं किया गया है, का अब उक्त वस्तु पर उक्त अवधि के संदर्भ में करने की जरूरत नहीं है।

[फा. सं. 116/17/2016-सीएक्स-3]

रोहन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2017

No. 01/2017- Central Excise (N.T.)

G.S.R. 20(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), (hereinafter referred to as the said Act), on Plain (Un-modified) Tamarind Kernel Powder falling under heading 1302 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the said goods), was not being levied according to the said practice, during the period commencing on the 19th day of July, 2011 and ending with the 18th day of July, 2016;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise payable under section 3 of the said Act on the said goods but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the said goods on which the said duty of excise was not levied during the period aforesaid in accordance with the said practice.

[F. No. 116/17/2016-CX.3]

ROHAN, Under Secy.